IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदान

रजनीकांत कुमार

शोध-प्रज्ञ- इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा

डॉ. संदीप कुमार

सहायक प्राचार्य, इतिहास विभाग,

सी. एम. कॉलेज, किला घाट, दरभंगा,

ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा

शोध- सारांश:

संविधान, संवैधानिक समिति, लोकतंत्र, देशभक्ति, अधिकार, गैरकानूनी, मसौदा, विधेयक, राजदूत, विभाजन, नागरिकता एवं द्विसदनीय आदि ।

भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं की भूमिका एक ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक अध्याय है, जो न केवल उनके बौद्धिक योगदान को रेखांकित करता है, बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में महिलाओं की स्थिति को भी दर्शाता है। संविधान सभा (1946-1950) में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिन्होंने समानता, शिक्षा, मताधिकार, और महिला अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावशाली विचार रखे और संविधान की विभिन्न धाराओं को आकार देने में योगदान दिया।

इनमें प्रमुख नाम हैं— दुर्गा बाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, डॉ. दक्षायणी वेलायुधन, बेगम ऐजाज रसूल, और अम्मू स्वामीनाथन। इन महिलाओं ने न केवल महिला अधिकारों की वकालत की, बल्कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, और शिक्षा जैसे विषयों पर भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई।

उदाहरणतः, हंसा मेहता ने महिलाओं को समान अधिकार देने की मांग की और यूनिवर्सल सिविल कोड का समर्थन किया। दक्षायणी वेलायुधन, संविधान सभा की एकमात्र अनुसूचित जाति की महिला सदस्य थीं, जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई।

इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में केवल प्रतिनिधित्व**मे** नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की नींव रखने में भूमिका निभाई, जिसमें लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई। भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदान न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज के सामाजिक विकास एरण की दिशा में भी एक प्रेरणास्रोत है।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय नेताओं के मन में कई विचार और मत प्रवाहित होने लगे कि, भारत में कौनसी राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे कई नेताओं ने लोकतंत्र के माध्यम से भारत के भविष्य के विकास का सपना देखा। लोकतंत्र के ढांचे को परिभाषित करने के लिए तथा इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए और आम तत्वों को इससे लाभान्वित करने के लिए संविधान महत्वपूर्ण था।

9 दिसंबर, 1946 को 'कैबिनेट मिशन' योजना के तहत डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान समिति का गठन किया गया। संविधान समिति के 389 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कार्य किया। संविधान समिति के इन सदस्यों के अलावा 15 महिला सदस्य थीं। जिन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया में कई मुद्दों पर चर्चा की और निर्भीकता से अपनी राय व्यक्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई मुद्दों पर अपनी राय रखने वाली महिला सदस्यों की भूमिका पर अधिक विचार-विमर्श नहीं हुआ है। भारत की आजादी के 75 साल बाद आज भारतीय संविधान में महिलाओं की उपलब्धियों की, योगदान की समीक्षा करना प्रस्तुत शोधालेख का उद्देश्य रहा है।

भारतीय संविधान समिति ने संविधान बनाने की चुनौती को स्वीकार किया। संविधान के माध्यम से समाज की कल्पना करना और उस विशिष्ट आदर्श या लक्ष्य के प्रति समाज का निर्माण करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा। संविधान या संविधान समिति पर चर्चा करते हुए डॉ. अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आदि का उल्लेख मुख्य रूप से किया जाता है। घटनाओं के निर्माण में इन नेताओं की भूमिका अग्रणी और महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय संविधान समिति की महिला सदस्यों के कार्यों और योगदान से आज भी अधिकांश लोग आज भी अपरिचित हैं।

उद्देश्य

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के आलोक में भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं के योगदान की समग्र समीक्षा करना है। विशेष रूप से, यह अध्ययन हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम ऐजाज़ रसूल, और दक्षायणी वेलायुधन जैसी महिला संविधान सभा सदस्यों की भूमिका को रेखांकित करता है, जिन्होंने सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकारों जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। यह शोध उनकी विचारधारा, सक्रिय भागीदारी और संवैधानिक विकास में उनके योगदान की ऐतिहासिक पड़ताल करता है, ताकि महिलाओं की संवैधानिक यात्रा और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों की सम्यक् समझ विकसित की जा सके।

भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदानः

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद उस समय के सभी नेता बहुत प्रभावशाली हुए। भारतीय संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हुए, महिलाओं के भाषण को देखने पर यह देखा जा सकता है कि चर्चा में उनकी भागीदारी केवल लैंगिक समानता या लैंगिक भेदभाव तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकार, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, न्यायिक व्यवस्था, राज्य के दिशा-निर्देश, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार, समान नागरिक कानून जैसे कठिन और रणनीतिक विषयों पर भी चर्चा की। संविधान सभा की कुल 299 सदस्यों में से 15 महिलाएँ थीं, जिन्होंने न केवल महिलाओं के अधिकारों की बात की, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, मताधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर भी अपनी मुखर उपस्थिति दर्ज कराई। हंसा मेहता ने समानता और शिक्षा के अधिकार पर ज़ोर दिया, दुर्गाबाई देशमुख ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर, वहीं राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। उनका यह योगदान आज भी भारतीय लोकतंत्र और समाज में स्त्री सशक्तिकरण की नींव के रूप में स्थापित है। सदस्यों की भागीदारी से प्रारूप समिति के विचार-विमर्श को गति और दिशा दी। संविधान निर्माण में कार्य करने वाली उन महिलाओं का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है।

महिला सदस्य की भूमिका संक्षेप में इस प्रकार है-

1.दक्षिणायनी वेलायुधनः- यह मद्रास प्रांत से चुनी गई संविधान सभा की इकलौती दलित महिला सदस्य थी। 1912 में जन्मी वेलायुधन, डॉ. अम्बेडकर और गांधीजी की सोच से प्रभावित दलितों को अस्पृश्यता और भेदभाव जैसी अमानवीय प्रथा से मुक्त करने की इच्छा उनकी प्रस्तुति में देखी जा सकती है। उनका स्पष्ट मत था कि, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में दलितों को आरक्षण देने से हम औपनिवेशिक विवाद की तरह जाति के आधार पर बंटे रहेंगे और दलित समाज गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएगा। संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य भी थी। व्यक्तिगत तौर पर वे देश में किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोध करती थी। वे अपने लेखों के जरिए सदैव मुखरता से बात रखना जानती थी।

स्वतंत्र भारत की शासन अधिनियम का एक संशोधित संस्करण है। विशेष रूप से, केंद्र शासित प्रदेश और गवर्नर ब्रिटिश राज्य प्रणाली की नकल हैं। टिप्पणी की, कि ये चीजें भारतीय विविधता में योगदान नहीं करती हैं। भारत गणराज्य में राज्यों की स्वायत्तता को बनाए रखने का सुझाव देते हुए उन्होंने संविधान समिति को एक क्रांतिकारी सुझाव दिया कि संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद इसे पहले चुनाव में जनता की राय के लिए पेश किया जाना चाहिए। संविधान, किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है, और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में है। भारतीय संविधान के निर्माण में 15 महिला सदस्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है।

2. सरोजिनी नायडूः- सरोजिनी नायडू बिहार प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल हुई। भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसके पहले, वे भारत का संविधान बनाने वाली सभा का भी हिस्सा रह चुकी है। सरोजिनी नायडू ने सदैव महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाई है। भारत में महिलाओं का मताधिकार दिलाने में उनका बड़ा योगदान है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं और उन्हें एक भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। वह संविधान समिति में राष्ट्रीय ध्वज समिति की अध्यक्ष थीं। इस समिति ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति देने के बाद ध्वज को अपनाया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जाति, धर्म, महिला और पुरुष के आधार पर देश का नेतृत्व करना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि समिति में महिलाओं को अधिक से अधिक भाषण देना चाहिए। भारत के संविधान में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

3. बेगम क़दसिया ऐज़ाज़ रसूलः- बेगम रसूल को उत्तरी प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। यह संविधान समिति की पहली और एकमात्र मुस्लिम सदस्य थीं। वह मुस्लिम लीग की नेता थीं और संविधान समिति के अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर मसौदा समिति की सदस्य भी थीं। वे अल्पसंख्यक अधिकारों की ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य थी। उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। वे अल्पसंख्यकों के लिए न्याय और समान अधिकार चाहती थी। उनका मानना था कि हिंदी को ही भारत की राष्ट्रीय भाषा माना जाना चाहिए। उन्होंने संविधान मसौदा समिति के समक्ष कहा कि, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति की देशभक्ति का निर्धारण करना सही नहीं है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि, मसौदे में लिंग के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने वाला खंड क्यों नहीं था। उन्होंने संसद शब्द के बजाय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

का सुझाव दिया। इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि, अगर ऐसा किया जाता है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी के योगदान को केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद रखेगी। संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने में राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति को सीमित करने के लिए एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था और संशोधन को स्वीकार कर लिया गया था।

वर्तमान में प्रावधान यह है कि, राष्ट्रपति संसद द्वारा पहली बार पारित किसी विधेयक को वीटो कर सकता है। लेकिन दूसरी बार जब संसद विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के साथ या बिना सहमति के लिए वापस भेजती है, तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। संविधान में बेगम रसूल का काम बहुत महत्वपूर्ण है।

4. दुर्गाबाई देशमुख:- दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा में मद्रास प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई थी। वह संविधान मसौदा समिति के प्रेसीडियम की एकमात्र महिला सदस्य थीं। पेशे से एक वकील थी। संविधान सभा में उन्होंने हिंदू कोड बिल के अंतर्गत, महिलाओं का संपत्ति में समान अधिकार का पक्ष रखा था। इसके अलावा उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा के मिश्रण से बनी हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की बात भी कही थी। उनका मत था की, सभी समुदायों या वर्गों के लोगों को सार्वजनिक पूजा स्थलों और मंदिरों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करना चाहिए इस बात पर बल दिया। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि सभी राज्य व्यक्तिगत हित कि बजाए सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में सराहा, जिसने दृढ़ता और अथक प्रयास से उनका समर्थन किया, और गुमनाम कारणों से संविधान समिति में रिक्तियों को भरने के लिए नियमों में बदलाव का सुझाव दिया। मौजूदा अनुच्छेद 39एफ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि, अगर बच्चों और युवाओं के शोषण से सुरक्षा और उसके अधिकारों के क्रियान्वयन की व्यवस्था कारगर नहीं होगी तो उसे केवल दिशा-निर्देशों के तहत ही आत्मसात करना प्रभावी नहीं होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए न कि सीधे। संशोधन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर चर्चा करते समय इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राज्यपाल को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि न्यायाधीशों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। मुझे संविधान की रक्षा के लिए जिम्मेदार है।

5. हंसा जीवराज मेहता:- हंसा मेहता को मुंबई प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। हंसा मेहता ने संविधान सभा में महिलाओं के अधिकारों व समानता का पक्ष रखा था। उन्होंने महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार मिलने पर बल दिया था। । वह भारत की संविधान समिति की एक सक्रिय, कट्टर नारीवादी सदस्य थीं। वह सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार उप-समिति, प्रांतीय संविधान समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति की सदस्य थीं। इसके अलावा उन्होंने देश में महिलाओं को समान अधिकार देने का विषय भी उठाया था। 1948 में, उन्होंने भारतीय महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों का मसौदा तैयार किया। यह मसौदा 1948 के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा से प्रभावित था। समय-समय पर उन्होंने संविधान समिति के समक्ष अपने भाषणों में महिला आरक्षण का स्पष्ट विरोध किया। उद्देश्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं विशेष रियायतों और आरक्षणों के बजाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अपेक्षा करती हैं। किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा लोकतंत्र नहीं है।

पंडित नेहरू द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति के लिए चुना गया। वहां भी, उन्होंने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में इतिहास रचा, यह तर्क देते हुए कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं।

6.पूर्णिमा बनर्जी:- पूर्णिमा बनर्जी को संविधान सभा में संयुक्त प्रांत द्वारा चुना गया था। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि, शिक्षा और रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। भारत की आजादी लड़ाई में सक्रियता से भाग लेने वाली महिला रही हैं। संविधान सभा में रहते हुए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में हुई बहस में अहम भूमिका निभाई थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर परिचर्चा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान अनुच्छेद 28 शासन के तहत विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के मूल सिद्धांत को शामिल किया जाए तो छात्र सर्व धार्मिक समानता के सिद्धांत और धर्म की अवधारणा को आत्मसात करेंगे।

वह आमतौर पर राज्यसभा की भूमिका और उपयोगिता को लेकर आशंकित रहती थीं। राजनीतिक हितों या आय से अधिक संपत्ति के आधार पर इस सभा के सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाने का प्रावधान होना चाहिए, अन्यथा ऐसे सदस्य देशहित में बने कानूनों के अनुमोदन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उनका संदेह वर्तमान समय में सच प्रतीत होता नजर आता है। निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों की चर्चा में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय है। उनका स्पष्ट मत था कि सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों या असामाजिक तत्वों को पूर्व-गिरफ्तार करने का अधिकार होना चाहिए। आज के अनुच्छेद 22 में उन्होंने यह तर्क सुझाया कि इस अनुच्छेद को लागू करते समय सरकार पर कुछ संयम होना चाहिए।

संविधान समिति के समय महिला सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुरोध किया था कि, यदि अचानक और किसी कारण से महिला सदस्यों की जगह खाली हो जाती है, तो उन जगहों पर केवल महिला सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। संविधान की स्वीकृति के समय अपने भाषण में उन्होंने व्यक्त किया कि देश के मूल्यवान खनिजों और महत्वपूर्ण उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए और क्षेत्र में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संविधान समिति में महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूर्णिमा बनर्जी को सदैव याद रखा जाएगा।

7. राजकुमारी अमृत कौर:- अमृता कौर भी संविधान सभा में शामिल 15 महिला सदस्यों में से एक थी। वे आजाद भारत की कार्यप्रणाली के निर्माण में योगदान देने वाली एक सशक्त महिला थी। वे समान नागरिक संहिता बनाने के पक्ष में थी। वे 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी।

राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा में सी.पी. और बरार प्रान्त के प्रतिनिधि थी। वह संविधान समिति, स्थापित वित्त और कार्मिक और राष्ट्रीय ध्वज समिति की सदस्य थीं। संविधान समिति ने उनके आग्रह को स्वीकार किया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल खादी के कपड़े और हाथ से बुने हुए सूत से बना होना चाहिए। वह स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थीं। इस प्रकार उन्होंने संविधान निर्माण में अमूल्य कार्य किया हुवा दिखाई देता है।

8.विजयलक्ष्मी पंडित:- पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित भी संविधान सभा में शामिल थी। उन्होंने संविधान निर्माण की चर्चा के दौरान, आरक्षण, महिला आरक्षण, अल्पसंख्यकों के अधिकार और स्कूली शिक्षा जैसे विषयों पर अपनी बात कही थी। विजयलक्ष्मी पंडित ने संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक समित्ति में प्रवेश किया। संविधान समिति में उनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का था। क्योंकि उन्हें रूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संविधान समिति के समक्ष अपने भाषण में उन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बताया जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर विश्वास के साथ खड़ा है। कई राष्ट्रों में और देश की जनता के सामने उनका मानना था कि, भारतीय संविधान एक प्रेरणा और मार्गदर्शक होगा।

9. सुचेता कृपलानी:- सुचेता कृपलानी को भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। हालांकि इससे पूर्व उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वे भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करने वाली कमेटी का हिस्सा थी।

10. कमला चौधरी:- कमला चौधरी ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के साथ-साथ, पिछड़े इलाकों की महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कार्य किये थे। उनके योगदान को देखते हुए, कमला चौधरी को संविधान सभा में स्थान दिया गया था। सभा में वे संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रही थी।

11. लीला रॉय:- लीला रॉय ने संविधान सभा में बंगाल प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन से सहानुभूति थी। उन्होंने 1921 में बेटून कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अखिल बंगाल महिला अत्याचार समिति की सहायक सचिव बनीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए बैठकें आयोजित करती रही। भारत के विभाजन से व्यथित होकर उन्होंने इसके विरोध में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। लीला रॉय को नारीवादी के तौर पर जाना जाता था। उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया था। लीला रॉय भारत के विभाजन के सख्त विरोध में थी। इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था।

12. मालती देवी:- मालती देवी को उड़ीसा प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया था। हालांकि वे जमीनी स्तर पर बच्चों, आदिवासियों और किसानों के साथ काम करते रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने भी कुछ समय बाद संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था।

13. अम्मू स्वामीनाथन:- भारत के मद्रास प्रांत से आती थी। आजादी की लड़ाई में शामिल होने के कारण, वे एक साल जेल में भी रही थी। संविधान सभा में रहते हुए, स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धांतों (**Directive Principles of State Policy**) पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया था।

14. एनी मास्करेन:- एनी मास्कारेन दक्षिण भारत से आती हैं। वे भी संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में शामिल थी। मास्करेन ने संविधान सभा में मुख्य रूप से संघवाद (**Federalism**) के विषय पर हुई चर्चा में भाग लिया था।

15. संविधान सभा में रेणुका रे:- रेणुका रे इन्हें संविधान सभा में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। मुख्य रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पक्षधर रही है। आजादी के पहले उन्होंने महिला श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए भी कार्य किया है। अनुच्छेद 28 की वर्तमान चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पड़ने वाले छात्रों के लिए धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए यह सुझाव दिया गया और स्वीकार किया गया। वर्तमान अनुच्छेद 23 में श्री दास द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, देवदासी और वेश्यावृत्ति देश में गंभीर सामाजिक समस्याएँ हैं। इसे खत्म करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन संविधान में इन मुद्दों का उल्लेख इतना एकीकृत नहीं है। उनका मत था कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में देश की अखंडता और अविभाज्यता के लिए अमेरिका जैसी दोहरी नागरिकता के बजाय एकल नागरिकता स्वीकार की जानी चाहिए। वे द्विसदनीय विधायिका के विरोधी थे, क्योंकि उनकी राय में, यह प्रणाली शक्ति और समय दोनों की बर्बादी होगी। उनका मानना था कि लोगों के कुछ समूहों के लिए आरक्षण असाधारण होना चाहिए। संविधान में रेणुका रे का योगदान अमूल्य है। उन्होंने 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था।

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदान ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और अद्वितीय रहा है। 1946 से 1950 के मध्य संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों ने न केवल सक्रिय भागीदारी निभाई, बल्कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे और संविधान की दिशा तय करने में योगदान दिया। हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, दक्षायणी वेलायुधन, बेगम ऐजाज रसूल जैसी महिलाओं ने नारी अधिकार, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता जैसे विषयों पर अपने विचारों से संविधान को समृद्ध बनाया। इन महिलाओं ने उस समय के सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों को तोड़कर राष्ट्रनिर्माण में अपनी भूमिका निभाई, जो नारी सशक्तिकरण का एक प्रतीक बन गया। उनके प्रयासों के कारण ही संविधान में लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध अनेक प्रावधान किए गए, जैसे समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15), और समान अवसर का अधिकार (अनुच्छेद 16)

भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। संविधान भारत के सर्वोत्तम दस्तावेजों में से एक है। इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं।

भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति का परिचय संविधान से मिलता है। भारत की परम्परागत नागरिक संस्कृति की दृष्टि निर्माण का कार्य इस पुस्तक के माध्यम से देखा जाता है, जिसे संविधान सभा में महिला सदस्यों के साथ-साथ पुरुषों ने भी किया है। संविधान निर्माण संविधान के माध्यम से पुरुषों के साथ इन महिला सदस्यों द्वारा देश में एक नई सामाजिक क्रांति का जन्म हुआ। जिससे देश में न्याय, समानता और भाईचारा जैसे मूल्यों का प्रसार हुआ। संविधान निर्माण में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के योगदान के साथ-साथ दुर्गाबाई देशमुख, रेणुका रे, बेगम रसूल, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजिनी नायडू का योगदान भी अमुल्य है।

इस प्रकार, भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदान केवल सांकेतिक न होकर ठोस, बौद्धिक और वैचारिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।

ग्रंथसूचीः

1. संविधान का विकास और संरचना द हिंदू, पृ.क्र. 3
2. शर्मा बी. के., इंट्रोडक्शन टू द कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा. लिमिटेड, पृ.क्र. 332
3. भारतीय संसद के संकट स्थल पर संविधान मसौदा समिति की चर्चा, भाग 1-12।, पृ.क्र. 448
4. बाछल डॉ. वी.एम., भारत का संविधान, के सागर प्रकाशन, पृ.क्र. 128
5. ग्रानविले ऑस्टिन (Granville Austin) – "The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation" संविधान निर्माण प्रक्रिया और उसमें शामिल प्रमुख हस्तियों की भूमिका को उजागर करता है, जिनमें महिलाएँ भी शामिल थीं।
6. हंसा मेहता के संस्मरण और लेख
→ शिक्षा और महिला अधिकारों पर उनके विचार, जो उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किए।
7. नीरा देसाई और उषा ठाकुर., Women in Indian Society., प्रकाशक: National Book Trust पृ.क्र. 74-78
8. संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका., डॉ. मधुलिका सिंह उज्वल।